

सरवर्ग

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

को. नं. 178/14 उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

पत्रावली दिनांक 29.11.14
हुकम या कार्यवाही मय अधिशयलस जज
178/14 उपखण्ड

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

तारीख
हुकम

18/11/14

वाद/प्रार्थनापत्र वाद जीव प्र. त हुआ,
दर्ज रजिस्टर किया जाकर विवक्षीय को
सामन/नोटिस जारी किये जायें।
पत्रावली दिनांक 13.11.14 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

13-11-14

उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी
राजकार्य से बाहर है/ अवकाश पर
है/ पद रिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 26.11.14
को पेश हो।

रीडर
सहायक कलक्टर माण्डल

26-2-15

न्यायालय को पेश किया गया अपरिपक्व
अवकाश पत्र दिनांक 26.2.15 को पेश हो।

24.6.15

पत्रावली नोटिस के विषय पर पेश
वादी उपस्थित जिसे सुना गया। वादी ने
नाम अज्ञानता के शेष को अ.नं. 1710 शब्द
06 बिरला पर अपना पत्रावली कक्षा के तहत
उसकी शवातेदारी में दर्ज कराने का अनुरोध
किया है। प्रकरण में लक्ष्मीलाल साहू के अनाक
है व न्याया रिपोर्ट दिनांक 2.2.2013 का
अवलोकन किया गया, धर्मों को पूर्व में अ.नं.
1706 में 05 बिरला शेष अनाक होना जाहिर
होता है। पत्रावली अ.नं. 1710 शब्द 06
बिरला पर अपना पत्रावली कक्षा के तहत
पेश की है। अ.नं. 1710 शब्द 06 बिरला
पर दर्ज का अनाक अनाक अनाक अनाक
है। अतः वादी का अनाक विषय जाता है।
आज यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट में सुनाया
गया। पत्रावली के अनाक अनाक अनाक
में नाम है।

(देवी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पटेल

26/11/15

पीठासीन अधिकारी